

आदेश नं. 34/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23. 4. 24	<p>वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर प्रार्थना किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। अतस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल नुमा होकर नम्बर से कम होकर बाद तरकीब कमिनील दाखिल दफतर हो।</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	<p>नोट प्रेस</p> 